



केंद्रीय बजट
2025 ने रियल
एस्टेट क्षेत्र, विशेष
रूप से किफायती आवास
खंड में जान फूंकने के
उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार
किए हैं। किफायती

आवास पर ध्यान केंद्रित करने वाले डेवलपर्स के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) और कर छूट को फिर से शुरू करने से न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच घर के स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र में बहुत जरूरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

— अक्षत खेतान, संस्थापक, एयू कॉर्पोरेट
एडवाइजरी और लीगल सर्विसेज